## कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, झॉंसी रोड, ग्वालियर 1/835451/2025

लेखापरीक्षा दल क्र.-07/Spell-IV (अवधि जनवरी-2025 से मार्च-2025 तक) का दौरा कार्यक्रम

## दल सदस्यों के नाम:-

- 1. श्री सुबोध कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (02/6781)
- 2. श्री अजय जौहरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (02/6213)
- 3. श्री अशोक कुमार, वरि.ले.प. (03/10499)

	इकाई का नाम	DDO कोड	दिवस	दिनांक-	वर्ग
प्रस्थान- इंदौर				04.01.2025	
				(रात्रि)/05.01.20	25
1	Superintendent of Police, PTS, Indore 11/14से	1700204003	07	06.01.2025 से	Α
	12/24			14.01.2025	
प्रस्थान- भोपाल				15.01.2025	
2	सेनानी द्वितीय वाहिनी राज्य औधौगिक सुरक्षा बल सिंगरौली	5000204003	06	16.01.2025 से	В
	(कैम्प-भोपाल) प्रारंभ से 12/24			23.01.2025	
प्रस्थान- सतना				23.01.2025(रार्ग	त्रि)
3	Superintendent Central jail, Satna 10/23 से 12/24	3400302001	07	24.01.2025 से	В
				03.02.2025	
प्रस्थान-ग्वालियर				04.02.2025	
	Superintendent of Police, Gwalior 07/19 से 12/24	1400204001	09	05.02.2025 से	Α
	(Attached 26 Paper Cutting for inspection)			18.02.2025	
	Jail supdt. Central Jail Gwalior	1400302001	80	19.02.2025 से	В
	07/17 से 12/24		_	03.03.2025	
	Commandent. 13th BN Gwalior	1400204005	04	04.03.2025 सं	Α
	12/19 से 12/24	\ \ <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>	00=	07.03.2025	
मुख्यालय में कार्य 05 दिन (दिनांक 10.03.2025 से 14.03.2025 )					
-	Commandent. 13th BN Gwalior	1400204005	03	17.03.2025 से	Α
	12/19 से 12/24			19.03.2025	
7	COMMANDANT 2nd Btn GWALIOR 10/18 सं	1400204004	07	20.03.2025 सं	Α
	12/24			28.03.2025	
प्रस्थान- ग्वालियर				30.03.2025	

जनवरी-4,5,11,12,18,19,25,26. फरवरी-1,2,8,9,12,15,16,22,23,26. 2025:-मार्च-1,2,8,9,14,15,16,22,23,29,30,31.) (Calendar of District Judiciary 2025 - JAN-1,5,11,12,13,14,19,25,26. FEB-2,8,9,16,2,23,26. MAR-2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,30,31.)

नोट- लेखापरीक्षा दल क्र. -07 को उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-IV के आदेशानुसार यह निर्देश दिया जाता है कि वे इकाई- Superintendent of Police, Gwaljior की लेखापूरीक्षा के साथ-साथ इकाई से सम्बन्धित 26 समाचार पंत्र कतरनों की जाँच करें | समाचार पत्र कतरनों की जाँच प्रतिवेदन व पत्र बनाकर वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV को आवश्यक रूप से देना सुनिश्चित करें।

## (प्राधिकार:- महालेखाकार महोदया द्वारा अनुमोदित)

## अन्य निर्देश-

1. कृपया इकाई पर पहुंच कर इकाई के दूरभा्ष क्रमांक में उप महालेखाकार/ए.एम. जी-IV लेखापरीक्षा को दूरभाष क्रमॉक 0751-2645519 एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी-IV (मुख्या) को मोबाईल क्रमांक 9425715675 पर सूचित् करे।

2. दौरे से अवकाश पर जाने एवं वापिस कार्य स्थल पर पहुंचने की सूचना समय पर मुख्यालय को कैंप छोड़ने से पूर्व

अनिवा्र्य रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें।

3. प्रत्येक चक्र में दौरा दल के प्रत्येक अधिकारी का ड्राफ्ट पैरा में परिवर्तनीय कम से कम एक कांडिका का योगदान का कोटा निर्धारित किया जाता है। चक्र समाप्ति पर प्रधान महालेखाकार की समीक्षा मीटिंग की जायेगी, जिसमें

सबाधत अधिकारी अपनी कडिका का प्रस्तृतीकरण करेगे।

4. इकाई की लेखापरीक्षा समाप्ति के तीन दिवस के अन्दर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (IR) मुख्यालय पर OIOS के

माध्यम से वरिष्ठ लेखापुरीक्षा अधिकारी /ए.एम्.जी.-IV (रिपोर्ट) को भेजे ।

5. यदि लेखा परीक्षा की यूनिट किसी कारण से निरस्त होती है तो लेखापरीक्षा दल, समूह अधिकारी को यूनिट का दूरभाष क्रमांक सूचित करेगा एवं यूनिट से लिखित में ऑडिट न करने का तथ्य प्राप्त करेगा। यूनिट को लिखित में यह भी सूचित करेगा कि यह तथ्य उनके उच्च अधिकारियों को समूह अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया जावेगा। इसके उपरान्त प्रोग्राम की अगुली यूनिट को प्रस्थान करेगा।

6. निरीक्षण प्रतिवेदन में ली गई आपत्तियों के संबंध में पूर्ण KDs लगाना तथा पूर्ण विश्लेषण करना अनिवार्य है।

7. इकाई की लेखांपरीक्षा पूर्व में की गई अवधि से आगे अवधि से अद्यतन अवधि तक की जावे । जिस इकाई की लेखापरीक्षा प्रारंभ से की जॉनी हो उस स्थिति में इकाई की स्थापना सम्बन्धी आदेश की प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे तथा मुख्यालय को भी सूचित की जावें।

8. पूर्व लंबित कॅंडिकाओं के निराक्रिण हेतु अधिकाधिक प्रयास किये जाये।

9. निरीक्षण दल अधिकारी इकाई के कार्यनुसार कार्य दिवसों को स्वविवेकानुसार कम कर सकते है, जिसकी सूचना मुख्यालय को दिया जाना अनिवार्य होगा।

10. Balance Sheet Audit केवल मार्च माह तक ही संपन्न करें।

11. DO letter. Event. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मुख्यालय पर प्रेषित करना अनिवार्य करे।

12. दल प्रभारी अपने स्तर पर लेखापरीक्षा की सूचना प्रथम इकाई पर पहुँच कर समस्त अगली इकाईयों को देना

सुनिश्चित करें।

- 13. Data Folder में दिये गये बिंदुओं जैसे कि चेकलिस्ट, ऑब्जेक्ट / सब ऑब्जेक्ट हेडयार व्यथ, प्रोजेक्ट / पीपीपी Under Execution, PD Account/Bank Account से संबंधित समस्त जानकारी जैसेकि Voucher, PD Account/Bank Account की खोलने की अनुमित एवं उससे किए गये व्ययों की जांच, सहायक अनुदान का उपयोग, कर्मचारियों व उनके प्रशिक्षण की स्थिति, ए.एम.ज़ी.-IV (मुख्या) द्वारा उपलब्ध कराये गये Focus Areas की संपूर्ण जांच इत्यादि पर दल द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने का Assurance अनिवार्य रुप से निरीक्षण प्रतिवेदन के
- 14. Procurement के संबंध में Audit Procurement Kit में दिये गये बिंदुओं की भी जांच करना सुनिश्चित
- 15. लाभार्थियों को किये गये भुगतान के संबंध में तैयार की गई चेकलिस्ट एवं विभागों के अन्य बिंदुओं के संदर्भ में विस्तृत चेकलिस्ट के अनुसार अभिलेखों की जांच किया जाना सुनिश्चित करें।

16. गंतव्य स्थान के इक्तुई पर पहुंचने के उपरांत Audit Commencement Report अविलंब मुख्यालय प्रेषित

किया जाना सुनिश्चित करें।

17. निर्माण की इकाईयों में GIS/RSD का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

18. मुख्यालय द्वारा समयू-सुम्य पुर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

19. भुँगतान प्राप्त हितग्राहियों के बैंक खातों का विस्तृत जांच किया जाना सुनिश्चित करें।

20. पूर्व में जिस प्रकार Transaction Audit के दौरान जो प्रक्रिया ज्ञापन एवं प्रतिवेदन संबंधी अपनाई जाती थी, उसका पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

21. अभिलेख न मिलने पर इसकी सूचना तुरंत वरि, उपमहालेखाकार महोदय को प्रस्तुत करेंगें। 22. विधि एवं विधायी कार्य विभाग की लेखापुरीक्षा के समय चाइल्ड बजट में म.प्र. शासन द्वारा किये गये प्रावधान अनुसार व्यय किया गया है, इसकी विस्तृत जाँच करें तथा आपत्ति पाये जाने पर निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल करने के साथ ही पृथ्क से आपत्ति एवं KD सिंहेत फाइल मुख्यालय को भी उपलब्ध करावें |

23. विधि एवं विधायी विभाग की लेखापरीक्षा के समय CCD (Civil Court Deposit) खाते की जाँच भी की जावें

24. दल प्रभारी द्वारा ऑडिट यूनिवर्स डाटा के अपडेशन हेतु लेखापरीक्षित इकाई नम्बर, आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम् व मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई.डी. एवं अधिकारिक वेबसाईट से पत्राचार का पूरा पता, लैंड-लाईन यदि कोई हो तो प्राप्त कर मुख्यालय अनुभाग को अथवा निरीक्षण प्रतिवेदन में संलग्न किया जाना

25. OIOS में दौरा कार्यक्रम Upload होने के बाद शीघ्र सभी लेखापरीक्षा दल सदस्य OIOS में कार्य करना

सुनिश्चित करेंगें।

हस्ता.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ए.एम.जी.**-IV** (मुख्या.)

क्र.ए.एम.जी-IV/पार्टी- 07/Spell-IV/2024-25/STR/mail-प्रतिलिप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक-06-01-2025

1 सचिव, प्रधान महालेखाकार

2 स्चिव्रालय उपमुहालेखाकार/ए.एम.जी.-IV

3 वरि.ले.प.अ./ऑडिट प्लान सेल

4 वरि.ले.प.अ./ ए.एम.जी.-IV (रिपोर्ट अनुभाग)

5 वारं.लं.प.अ./IS Wing को Tour Programme Intranet पर Upload कराने हेतु | 6 समस्त दल के सदस्यों को अनुपालन हेतु |

VIRENDRA NARAIN PANDEY, SAO(AMG-IV HQ)VNP, AMG-IV(HQRS)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)